न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ ( )वाचक / Case No. 18/2020/ 464-65 दिनांक 28 सितम्बर, 2020

आदेश

थानाधिकारी, पुलिस थाना खमेरा द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 219/2020 दिनांक 27.09.2020 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995 की धारा 3,6,9,10 में दर्ज कर बताया कि दिनांक 27.09.2020 को ट्रक नंबर आर जे 14 जी.ए 3770 में 8 गाय तथा 7 बछडे जिन्दा एवं 1 मृत बछडा हाटवाडा जयपुर से भरकर संतरामपुर गुजरात ले जा रहे थे। जिन्हे जप्त कर प्रकरण में अनुसंधान जारी है। उक्त 8 गाय तथा 7 बछडे को सुरक्षा एवं चराई के लिए प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक दयोदय श्री कल्याण गौशाला संस्थान उदपुरा सेनावासा (रजि.नं. 6/98 बॉसवाडा, 189/99 राज.) को सुपुर्द करने प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतः राजस्थान, गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत् जप्तशुदा 8 गाय तथा 7 बछडे को सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने तक प्रबन्धक, दयोदय श्री कल्याण गौशाला संस्थान उदपुरा सेनावासा (रजि.नं. 6/98 बॉसवाडा, 189/99 राज.) को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त जप्त शुदा 8 गाय तथा 7 बछडे की चराई, सुरक्षा एवं देखभाल की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक, दयोदय श्री कल्याण गौशाला संस्थान उदपुरा सेनावासा की होगी। जब्तशुदा गोवंश की वीडियोग्राफी भी सुपुर्दगी के समय करवायी जावे। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त पशुओं को तलब करने पर न्यायालय में पेश करने के लिए प्रबन्धक, दयोदय श्री कल्याण गौशाला संस्थान उदपुरा सेनावासा बाध्य होगा।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि :-

1. थानाधिकारी, पुलिस थाना खमेरा
2. प्रबन्धक, दयोदय श्री कल्याण गौशाला संस्थान उदपुरा सेनावासा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.10.08 16:21:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner